प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 30.06.2025

थाना निवाडी पुलिस द्वारा पूर्व में हुई 10 लाख 60 हजार रुपये व 15 लाख के आभूषण की लूट की घटना में वाँछित अभियुक्त को पीसीआर पर लाकर अभियुक्त की निशानदेही से घटना से सम्बन्धित 88,000/- रुपये बरामद ।

दिनांक 26/27.05.2025 को थाना निवाडी पर वादी श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मोहनलाल निवासी वैशाली एनक्लेव गोविन्दपुरी मोदीनगर गा0बाद ने तहरीर दी कि वैशाली एडवरटाइजिंग कम्पनी सारा गोविन्दपुरी रोड थाना निवाडी कमि0 गा0बाद में अज्ञात चोरो द्वारा छत के रास्ते से फैक्ट्री मे घुसकर मौजूद गार्ड रामलाल पुत्र हरी सिंह के साथ मारपीट कर हाथ पैर बांध कर फैक्ट्री के ऑफिस के दरवाजे व दराज तोड़कर ऑफिस के दराज में रखी धनराशि तथा सोने के आभूषण चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना निवाडी पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना का शीघ्र अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना स्तर से टीमों का गठन किया गया । विवेचना के दौरान वादी मुकदमा द्वारा 10 लाख 60 हजार रूपये व 15 लाख रूपये के आभूषणों की लूट होना बताया गया। तत्पश्चात स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना निवाडी की पुलिस टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटैज अवलोकन, सर्विलांस, घटना से सम्बन्धित गवाहों से पूछताछ व अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना का सफल अनावरण कर दिनांक 11.06.2025 को स्वाट टीम ग्रामीण जोन तथा थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त शान मौहम्मद पुत्र बाबू निवासी वार्ड न0 8 सिवालखास थाना जानी जनपद मेरठ को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त अलीशान पुत्र खचेडू निवासी बुढापीर सिवाल खास थाना जानी जनपद मेरठ जंगल होने के कारण मोके से फरार हो गया था ।

अभियुक्त अलीशान उपरोक्त दिनांक 23.06.2025 को माननीय न्यायालय में हाजिर हो गया था। अभियुक्त अलीशान उपरोक्त की माननीय न्यायालय से दिनांक 30.06.2025 को पीसीआर पर घटना से सम्बन्धित लूटी गयी राशि को बरामद करने हेतु स्वीकृति प्राप्त की गयी तथा थाना निवाडी पुलिस द्वारा अभियुक्त अलीशान उपरोक्त को पीसीआर पर लाया गया एवं अभियुक्त की निशानदेही पर अभियुक्त द्वारा बताये रास्ते निवाडी नहर पुल से जानी बार्डर की तरफ पीर से पहले नहर की पटरी की झाडियों के पास से पन्नी के अन्दर रखे हुए कुल 88,000/- रू0 बरामद किये गये । घटना में लूटी हुई सम्पत्ति के अबतक कुल 10

लाख 02 हजार रूपये व 15 लाख के जेवर बरामद किये जा चुके हैं। अग्रिम विधिक कार्यवही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि यही वह रूपये है जो हमने दिनांक 26/27.05.2025 को वैशाली एडवरटाइजिंग कम्पनी सारा मे मौजूद गार्ड से मारपीट कर बंधक बनाकर लूटे थे तथा तमंचे को बहती हुई नहर मे फेंक दिया था।

बरामदगी का विवरण :-

अभियुक्त की निशानदेही से उपरोक्त घटना से सम्बन्धित 88000 रूपये बरामद।

अभियुक्त का नाम व पताः-

अलीशान पुत्र खचेडू निवासी बुढापीर सिवाल खास थाना जानी जनपद मेरठ, उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोगः-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना निवाडी पर लूट का 01 अभियोग, हत्या के प्रयास का 01 अभियोग व थाना जानी जनपद मेरठ मे चोरी का 01 अभियोग तथा थाना बडौत जनपद बागपत मे चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 04 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

थाना निवाड़ी पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा डकैती की घटना मे वांछित 25000 रु0 का इनामी अभियुक्त पुलिस मुठभेड में घायल अवस्था मे गिरफ्तार , कब्जे से अवैध असलाह मय कारतूस बरामद

घटना का विवरणः- दिनांक 05.12.2023 को वादी श्री निशान्त सरवैया पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार निवासी बी 1905 एटीएम एडवांटेज अहिंसा खण्ड 1 इंदिरापुरम गाजियाबाद को तीन अज्ञात अभियुक्तो द्वारा बन्धक बनाकर गाड़ी न0 DL1CAC6762 , तीन फोन , पर्स जिसमे क्रेडिट कार्ड , आधार कार्ड तथा कुछ कैश को ले जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरणः- विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान इलैक्ट्रोनिक साक्ष्यो (सीडीआर /सीसीटीवी फुटेज), मैनुअल इन्टैलीजेन्स व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 30.06.2025 को डायमंड तिराहा पास , शास्त्रीनगर चौकी क्षेत्र मे चैकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस फोर्स पर फायरिंग कर देना जवाबी कार्यवाही में पुलिस पक्ष द्वारा भी फायरिंग की गयी। जिसमें अभियुक्त 1. जितेंद्र उर्फ जीतन उर्फ सत्येंद्र पुत्र प्रेम सिंह मूल निवासी ग्राम रजहेड़ा थाना सिंभावली जनपद हापुड़ हाल पता C/O हरि सिंह ग्राम शेखपुर गढ़वा थाना खानपुर जनपद बुलंदशहर उम्र करीब 37 वर्ष (चोटिल) को गिरफ्तार किया गया । जानकारी की गयी तो अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0स0 1106/23 धारा 120बी सपठित/ धारा 395/342 भादवि पंजीकृत है। जिसमें करीब 1 करोड़ 5 लाख 50 हजार रु0 बरामद किया गया था । जिसके लिए अभियुक्त को 25000 रूपये का ईनामिया घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

जितेंद्र उर्फ जीतन उर्फ सत्येंद्र पुत्र प्रेम सिंह मूल निवासी ग्राम रजहेड़ा थाना सिंभावली जनपद हापुड़ हाल पता C/O हरि सिंह ग्राम शेखपुर गढ़वा थाना खानपुर जनपद बुलंदशहर उम्र करीब 37 वर्ष

आपराधिक इतिहास

1. **जतिन उर्फ जीतन**
    - जनपद हापुड़ से 06 अभियोग
    - आर्मस एक्ट का 01 अभियोग जनपद बुलंदशहर
    - 01 अभियोग थाना कविनगर गाजियाबाद

बरामदगी-

- 1 देशी तमंचा नाजायज .315 बोर
- 1 जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 1 अदद खोखा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद ।